

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 2026 — चैत्र 25, शक 1948

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक एफ **RULE-5/18/2026-TRANSPORT.** — केन्द्रीय मोटरयान कराधान नियम, 1989 के नियम 115 के उप नियम (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, अधिसूचना क्रमांक 526/परिवहन विभाग/2001 दिनांक 10 सितंबर 2001 द्वारा जारी तथा समय-समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001 की निम्नांकित सूची के सरल क्रमांक (3) की उप कंडिका (ख) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त योजना के —

छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001 के प्रावधान (1)	संशोधन प्रस्ताव 2026 (2)
3 प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने हेतु अर्हतायें— की उप कंडिका “(ख)”	3 प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने हेतु अर्हतायें— की उप कंडिका “(ख)”
(ख) प्रदूषण जांच केन्द्र संचालन हेतु आवेदक या उसके कर्मचारी के पास आई.टी.आई का मेकेनिक (डीजल), मेकेनिकल (मोटरयान) का प्रमाण-पत्र या समतुल्य प्रमाण-पत्र होना चाहिए।	(ख) 3—(ख) के शब्द एवं वाक्य को विलोपित किया जाता है।

यह अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशिका ऋषि पाण्डेय, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th April 2026

NOTIFICATION

No F RULE-5/18/2026-TRANSPORT. — In exercise of the powers conferred by sub-rule (7) of Rule 115 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the State Government, hereby, makes the following amendment to the Chhattisgarh Motor Vehicle Pollution Testing Centre Scheme, 2001 which was issued vide Notification No. 526/Transport Department/2001 dated 10 September 2001 and other notifications amended from time to time. Accordingly, the State Government hereby makes the following amendments in sub-clause (b) under serial number (3) of the said Scheme, namely:-

AMENDMENT

Of the said scheme: –

Provisions of Chhattisgarh Motor Vehicle Pollution Testing Centre Scheme, 2001 (1)	Amendment Proposal 2026 (2)
3. Qualification for obtaining Authorisation letter – sub clause “(b)”	3. Qualification for obtaining Authorisation letter – sub clause “(b)”
(b) Applicant or his employee to operate pollution testing centre must have minimum ITI Mechanic (Diesel), Mechanical (Motor Vehicle) certificate or equivalent qualification.	(b) The words and sentence in 3-(b) are omitted.

This notification shall come into force from the date of publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANSHIKA RISHI PANDEY, Deputy Secretary.